विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले दो अध्याय शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में ₹ 1,873.28 करोड़ से संबंधित तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित अध्याय II में ₹ 327.36 करोड़ से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा और छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से दिए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2020-21 के ₹ 41,863.60 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 49,312.98 करोड़ थीं। इसमें से कर राजस्व ₹ 40,018.68 करोड़ एवं गैर-कर राजस्व ₹ 826.99 करोड़ के माध्यम से 2021-22 में 83 *प्रतिशत* जुटाया गया। शेष 17 *प्रतिशत* भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ (₹ 8,467.31 करोड़)।

(पैराग्राफ 1.1.1)/पृष्ठ-1

वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में 14 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 93 मामलों में शामिल ₹ 1,930.11 करोड़ से संबंधित कर/शुल्क की गैर/अल्प उगाही तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला। संबंधित विभागों ने ₹ 95.62 करोड़ के अल्प-निर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.6)/पृष्ठ-11

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

आबकारी विभाग

एल1 लाइसेंस देने के लिए ₹ 43.41 लाख के लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली - मेसर्स बकार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर वाइन/शराब/अल्कोपॉप/ मिश्रित अल्कोहलिक पेय पदार्थों के पंजीकृत ब्रांडों के लिए ₹ 99.41 लाख के बजाय ₹ 56.00 लाख का लाइसेंस शुल्क लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.41 लाख के लाइसेंस शुल्क का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.2)/पृष्ठ-12

व्यापार एवं कर विभाग

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसमें 2017-18 के लिए दाखिल जीएसटी रिटर्न में जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैग और नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। लेखापरीक्षा में दो स्तरों पर विभाग के निगरानी कार्यों का आकलन करना शामिल था - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर वार्डों और जीएसटी विवरणियों दोनों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें करदाता के अभिलेखों का आकलन करना शामिल था।

विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत उपयुक्त अधिकारियों द्वारा विवरणियों की जांच के लिए कोई नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार नहीं की। विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 की विवरणियों की जांच के लिए अप्रैल 2022 में एसओपी जारी की। विभाग ने विवरणी देर से दाखिल करने वालों और दाखिल न करने वालों पर समय पर कोई कार्रवाई नहीं की थी और जीएसटीआर 10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट/एमआईएस प्रतिवेदन द्वारा दी गई रिपोर्टों पर कार्रवाई में कमी थी।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 308 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, विभाग ने 267 मामलों में प्रतिक्रिया दी। इनमें से 85 मामलों में ₹ 1,702.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित अनुपालन संबंधी कमियां थीं। अदत्त देनदारियों, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बेमेल, ब्याज का अल्प/गैर-भुगतान, उठाया गया अतिरिक्त उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीएम) आईटीसी का लाभ, घोषित टर्नओवर में बेमेल आदि में कमियों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

47 मामलों में ₹ 163.82 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 97 अनुपालन कमियां थीं। इनमें से, विभाग ने एक मामले में ₹ 92.25 करोड़ का आईटीसी उत्क्रमण और दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की वसूली की सूचना दी। मुख्य प्रेरक कारकों में विवरणियों में बेमेल के कारण अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाना, ब्याज का गैर-भुगतान, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में उत्क्रमित दिखाए गए आईटीसी का गैर-उत्क्रमण, डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 42 के साथ पठित डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17(2) के अनुसार आईटीसी का गैर-उत्क्रमण, क्रेडिट का गलत संविभाजन, कर देयता का अल्प-उन्मोचन, आरसीएम के तहत कर का गलत उन्मोचन आदि शामिल थे।

(पैरा 1.3)/पृष्ठ-14

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा - निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण के दौरान बिक्री करने वाले व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर को सत्यापित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.82 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

(पैराग्राफ 1.4)/पृष्ठ-66

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.

परिचय

वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अंतर्गत कुल 769 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 105 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन और प्रचार व्यय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित लाडली योजना पर अनुपालन लेखापरीक्षा और सात विभागों से संबंधित छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या योजनाओं और कार्यक्रमों की पर्याप्त रूप से योजना बनाई गई थी एवं उन्हें प्रभावी ढंग से और कुशलता से क्रियान्वित किया गया था। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु आबंटित राशि का उपयोग करने के लिए अपने कार्यकलापों की योजना बनाने में विफल रहा क्योंकि यह पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 35.16 करोड़ के बजट की तुलना में केवल ₹ 9.78 करोड़ (28 *प्रतिशत)* ही खर्च कर सका। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (एएएमसी) परियोजना में 31.44 *प्रतिशत* (2022-23) से 86.36 *प्रतिशत* (2018-19) तक की कुल बचत हुई, जो इंगित करती है कि परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में कमी थी।

(पैराग्राफ 2.2.5)/पृष्ठ-82

31 मार्च 2017 तक 1000 एएएमसी के लक्ष्य के प्रति, विभाग केवल 523 एएएमसी ही स्थापित कर सका (31 मार्च, 2023), जिसमें 31 शाम की पाली के एएएमसी भी शामिल थे। 31 मार्च 2020 के बाद केवल 38 एएएमसी स्थापित किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित चार जिलों में 218 एएएमसी में से 41 डॉक्टरों के डी-इम्पैनलमेंट, इस्तीफे, छुट्टी आदि के कारण

15 दिन से लेकर 23 महीने तक की अवधि के लिए बंद रहे। 74 चयनित एएएमसी में से, दस एएएमसी में पेय जल की सुविधा का अभाव था, 21 में शौचालय सुविधाओं का अभाव था, 12 दिव्यांग जनों के अनुकूल नहीं थे और 31 में दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव था। इसके अतिरिक्त एएएमसी में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों और टूल्स जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्स-रे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी उपकरण आदि की कमी थी। इसके अतिरिक्त 74 एएएमसी (चयनित 81 में से) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि 39 एएएमसी (53 *प्रतिशत*) में 75 *प्रतिशत* से कम आवश्यक दवाइयां ही उपलब्ध थीं। यह भी देखा गया कि अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान एएएमसी में आने वाले रोगियों में से 70 *प्रतिशत* को एक मिनट से भी कम परामर्श का समय मिला। एएएमसी के निरीक्षण लगभग न के बराबर थे और मार्च 2018 से मार्च 2023 तक 11,191 निरीक्षण की आवश्यकता के प्रति चयनित जिलों के 218 एएएमसी के केवल 175 निरीक्षण किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.2.5.2)/पृष्ठ-85

मोबाइल स्वास्थ्य योजना (एमएचएस) और स्कूल स्वास्थ्य योजना (एसएचएस) में डॉक्टरों, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी (पीएचएनओ)/ सहायक नर्स मिड-वाइफ (एएनएम) और फार्मासिस्टों की कमी थी। एमएचएस में आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) में 100 दवाइयों में से 76 दवाइयां केंद्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप एमएचएस आवश्यक दवाओं के बिना कार्य कर रही थी। 2016-20 के दौरान 17 लाख (लगभग) स्कूली बच्चों में से केवल 2.81 लाख से 3.51 लाख को ही स्कूल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था।

(पैराग्राफ 2.2.6 एवं 2.2.7)/पृष्ठ-98 एवं 103

मौजूदा औषधालयों को द्वितीयक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में उन्नत करके पॉलीक्लिनिकों की स्थापना के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ओपीडी भार को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्ष 2018-19 के अंत तक नियोजित 150 पॉलीक्लिनिकों में से केवल 28 पॉलिक्लिनिक कार्यात्मक थे। एलोपैथिक औषधालयों में डॉक्टरों (23 *प्रतिशत*), नर्सिंग स्टाफ (16 *प्रतिशत*)

और पैरामेडिक्स (37 *प्रतिशत*) की भी कमी थी (मार्च 2023)। जिले में डॉक्टरों की अनुपातहीन तैनाती भी देखी गई।

(पैराग्राफ 2.2.8)/पृष्ठ-108

सभी चयनित जिला औषध भंडारों (डीडीएस) में दवाओं के भंडारण के लिए स्थान की कमी थी। डीडीएस, दक्षिण उचित तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक उचित वायुसंचार या वातानुकूलन के प्रावधान के बिना तहखाने में स्थित था। दवाइयों के डिब्बे फर्श/शौचालय परिसर और सीढ़ियों पर रखे गए थे। जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान उत्तर-पूर्व जिला औषध भंडार में एएएमसी की 26 आवश्यक दवाएं एक से 16 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थीं। इसी प्रकार, 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान चयनित जिला भंडारों में औषधालयों की आवश्यक दवाओं में दस से 37 *प्रतिशत* दवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(पैराग्राफ 2.2.5.2 (v) एवं 2.2.9)/पृष्ठ-92 एवं 113

आयुष औषधालयों में जगह, रैंप/लिफ्ट, प्रतीक्षा क्षेत्र**,** पेय जल आदि की कमी थी। डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण 67 *प्रतिशत* आयुर्वेदिक औषधालय, 72 *प्रतिशत* यूनानी औषधालय और 14 *प्रतिशत* होम्योपैथिक औषधालय सप्ताह में सभी छह दिन काम नहीं कर रहे थे। ओपीडी रोगियों की संख्या 2016-17 के 34.72 लाख से 19 *प्रतिशत* घटकर 2022-23 में 28.13 लाख हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.10)/पृष्ठ-116

2018-20 की अवधि के दौरान (दिसंबर 2019 तक), निदेशालय द्वारा अपनाई गई गलत खरीद नीति के कारण अधिकांश आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं स्टॉक में उपलब्ध नहीं थीं। 2018 से 2023 तक की संपूर्ण अवधि के दौरान 104 यूनानी आवश्यक दवाइयों में से केवल 17 तथा 110 आयुर्वेदिक आवश्यक दवाइयों में से केवल तीन ही उपलब्ध थीं। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चयनित 27 औषधालयों में औसतन 42 *प्रतिशत* आयुर्वेदिक औषधियां और 56 *प्रतिशत* यूनानी दवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(पैराग्राफ 2.2.5.2 (v) एवं 2.2.10)/पृष्ठ-92 एवं 116

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है और इसलिए यह औषधालयों को आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में उन्नत करने के लिए निधियों का लाभ नहीं उठा सकी। रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने औषधालयों में योग प्रशिक्षक का पद सृजित नहीं किया है और कोई भी आयुष औषधालय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं करा रहा था।

(पैराग्राफ 2.2.10.4)/पृष्ठ-119

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

गुरु तेग बहादुर अस्पताल के उदासीन रवैये के कारण ₹ 70.21 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ - कार्य सौंपने से पहले वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 2008 का पालन न करने के कारण संविदा रद्द कर दी गई और संविदा-भंग के लिए संविदाकार को ₹ 70.21 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.3)/पृष्ठ-128

सूचना एवं प्रचार निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विज्ञापन और प्रचार व्यय -

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन और प्रचार व्यय' पर अनुपालन लेखापरीक्षा रा.रा.क्षे.दि.स. की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों को प्रचारित करने पर किए गए व्यय में मितव्यय, दक्षता और प्रभावशीलता तथा अंतर्वस्तु विनियमन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुपालन का आकलन करने के लिए की गई थी।

2018-22 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के विज्ञापन और प्रचार पर किए गए व्यय में 2018-19 के ₹ 46.90 करोड़ से 12 गुना से अधिक की वृद्धि होकर 2021-22 में ₹ 612.81 करोड़ हो गए। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने सरकारी विज्ञापनों के अंतर्वस्तु विनियमन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन

करते हुए विज्ञापन अभियान जारी किए क्योंकि ये असत्यापनीय और अनुचित पाए गए थे।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.2)/पृष्ठ-133 एवं 146

बजट नियंत्रण कमज़ोर था क्योंकि बजट की उपलब्धता के बिना देयता उठाई गई थी। 2019-20 से 2021-22 के दौरान, मार्च महीने में व्यय में तेज़ी देखी गई जो 25.60 *प्रतिशत* (2021-22) से 51.88 *प्रतिशत* (2019-20) तक था। रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का समाधान करने का तंत्र या तो अपर्याप्त था या अस्तित्व में नहीं था।

(पैराग्राफ 2.4.1.1)/पृष्ठ-135

जन संपर्क, सोशल और डिजिटल मीडिया और रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रेस सम्मेलनों और कार्यक्रमों की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए निजी क्षेत्र से नियुक्त एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए निगरानी तंत्र ढीला था। एजेंसियों द्वारा आरएफपी शर्तों का पालन नहीं करने के बावजूद एजेंसियों को भुगतान जारी किए गए।

(पैराग्राफ 2.4.1.2)/पृष्ठ-140

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 मामलों में प्रिंट विज्ञापन रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर जारी किए गए थे जो रा.रा.क्षे. दिल्ली की आबादी को सरकारी योजनाओं और उस पर की गई पहल के बारे में सूचित करने के लिए नहीं थे और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। जुलाई 2020 से मार्च 2022 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर जारी किए गए प्रिंट विज्ञापनों के लिए डीआईपी पर ₹ 77.91 करोड़ (भुगतान किया गया: ₹ 57.81 करोड़) की देनदारी हुई।

(पैराग्राफ 2.4.6)/पृष्ठ-157

लोक निर्माण विभाग

6 फ्लैग स्टाफ रोड पर अतिरिक्त आवास उपलब्ध कराने तथा कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक में परिवर्धन और परिवर्तन के कार्यों में अनियमितताएं

6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री के आवास में परिवर्धन/परिवर्तन के कार्य में, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टाइप VII और VIII आवास/ बंगलों के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घोषित प्लिन्थ क्षेत्र दरों को

अपनाते हुए ₹ 7.91 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान (पीई) तैयार किया। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस कार्य को अति आवश्यक घोषित किया गया। यद्यपि उक्त निर्माण कार्य ₹ 8.62 करोड़ पर दिया गया, जो अनुमानित लागत से 13.21 *प्रतिशत* अधिक था, अंततः अनुमानित लागत से 342.31 *प्रतिशत* अधिक ₹ 33.66 करोड़ पर पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परामर्श कार्य देने के संबंध में पीडब्ल्यूडी ने सीमित बोली के लिए तीन परामर्श फर्मों के चयन का आधार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, औचित्य लागत निर्धारित करते समय पीडब्ल्यूडी ने एक वर्ष पुरानी परामर्श दरों को लिया और उसे 50 *प्रतिशत* तक बढ़ाया।

कार्य के निष्पादन के दौरान पीडब्ल्यूडी ने फिर से सीमित निविदा का सहारा लिया और उनकी वित्तीय स्थिति, साधन-संपन्नता और वीआईपी क्षेत्रों में समान कार्यों को निष्पादित करने में उनके अनुभव के आधार पर बोली लगाने के लिए पांच संविदाकारों का चयन किया। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल एक संविदाकार, जिसे कार्य सौंपा गया था, के पास अपेक्षित अनुभव था जो इंगित करता है कि सीमित निविदा के लिए बोलीकर्ताओं का चयन मनमाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निष्पादन के दौरान, पीडब्ल्यूडी ने निर्मित क्षेत्र को 1,397 वर्ग मीटर से 1,905 वर्ग मीटर (36 *प्रतिशत*) तक बढ़ाया और उच्च विनिर्देशों, कलात्मक और प्राचीन वस्तुओं, सजावटी कार्यों (सिवल और विद्युत/सेवाएं दोनों) की अनेक मदों को कार्यान्वित करके कार्य के प्रयोज्य विनिर्देशों को परिवर्तित किया। लागत को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी को चार बार पीई का परिशोधन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी ने अतिरिक्त एए एंड ईएस के लिए निविदा की संभावना भी नहीं खोजी और ₹ 25.80 करोड़ (2वीं से 5वीं पीई) के निर्माण कार्य मौजूदा संविदाकार द्वारा निष्पादित किए गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च विनिर्देशों, कलात्मक, प्राचीन वस्तुओं और सजावटी कार्यों के निष्पादन में पीडब्ल्यूडी द्वारा ₹ 18.88 करोड़ खर्च किए गए और इन कार्यों का निष्पादन पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया। इसके अलावा ₹ 9.34 करोड़ के 5वें

पीई के लिए एए एंड ईएस कार्य पूरा होने के दो महीने बाद जारी की गई, जिससे बिना किसी अनुमोदन के देनदारी बनी।

स्टाफ ब्लॉक/कैंप ऑफिस में परिवर्धन/परिवर्तन का दूसरा कार्य ₹ 18.37 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹ 16.54 करोड़ पर दिया गया। उक्त कार्य भी सीमित निविदा के द्वारा दिया गया। सीमित निविदा का सहारा लेने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 19.87 करोड़ में से निधियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त स्टाफ ब्लॉक का निर्माण नहीं किया गया और निधियों में से सात सेवक क्वार्टरों का निर्माण दूसरे स्थान पर किया गया जो मूल कार्य में नहीं था। इसके अतिरिक्त कैंप ऑफिस की संरचना को स्थायी से अर्ध-स्थायी संरचना (एसपीएस) में बदल दिया गया, जिससे एए एंड ईएस और अनुमान वास्तविक निष्पादित कार्य से पूरी तरह से असंबंधित हो गए। अंततः कैंप ऑफिस का केवल कच्चा ढांचा ही पूरा हुआ क्योंकि इसके लिए निधि समाप्त हो गई थी और पीडब्ल्यूडी द्वारा जून 2023 में कार्य को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई थी।

(पैराग्राफ 2.5)/पृष्ठ-173

₹ 1.47 करोड़ का निष्फल व्यय - कार्य सौंपने से पहले बाधा मुक्त साइट सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण मुख्य बुराड़ी रोड की जल निकासी प्रणाली के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा, जिससे कार्य पर ₹ 1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ 2.6)/पृष्ठ-199

राजस्व विभाग

त्वरित प्रतिक्रिया के लिए वाहनों को परिवर्तित करने में विफलता के कारण ₹ 1.81 करोड़ का निष्फल व्यय - डीडीएमए/विभाग ने खरीद के 25 से 42 महीने बीत जाने के बाद भी, खरीदे गए वाहनों में आवश्यक उपकरण स्थापित नहीं किए और न ही कोई संविरचन कार्य किया, जो उनके त्वरित प्रतिक्रिया

वाहनों (क्यूआरवी) में परिवर्तित करने की एक पूर्व-शर्त थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.7)/पृष्ठ-201

नौ वी-सैट टर्मिनलों की खरीद और स्थापना पर ₹ 2.38 करोड़ की निधियों का अवरोधन - नौ वी-सैट टर्मिनलों की समय पर खरीद और स्थापना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 2.8)/पृष्ठ-202

समाज कल्याण विभाग

वृद्धाश्रमों के निर्माण में देरी - भूमि के कब्ज़े के सात से आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी तीन स्थानों पर अत्यंत आवश्यक वृद्धाश्रमों के निर्माण में समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) की विफलता ने ₹ 2.92 करोड़ के निष्फल व्यय के अतिरिक्त, 60 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले दिल्ली के निराश्रित, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को एक अति आवश्यक सामाजिक समर्थन से वंचित कर दिया।

(पैराग्राफ 2.9)/पृष्ठ-204

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड

समय पर संपत्ति कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 2.65 करोड़ का अधिक भुगतान - समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने में विभाग के अनिर्णय के परिणामस्वरूप भुगतान में देरी के लिए ₹ 5.41 लाख के ब्याज के परिहार्य भुगतान के अलावा संपत्ति कर पर ₹ 2.59 करोड़ की 15 *प्रतिशत* छूट का लाभ उठाने में विफलता हुई।

(पैराग्राफ 2.10)/पृष्ठ-207

महिला एवं बाल विकास विभाग

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित लाडली योजना

'रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित लाडली योजना' की अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या यह योजना रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बनाए गए दिल्ली लाडली नियमों के अनुसार लागू की गई थी, धन पर्याप्त था और उसका उपयोग कार्यक्षम तरीके से किया गया था और योजना के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए पर्याप्त निगरानी मौजूद थी।

2018-22 की अवधि के दौरान, महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) ने लाडली योजना के अंतर्गत कोई सर्वेक्षण नहीं किया या इच्छित लाभार्थियों का कोई डेटा तैयार नहीं किया और न ही लाभार्थियों को कवर करने के लिए कोई वार्षिक वित्तीय या भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए। डीडब्ल्यूसीडी द्वारा लाडली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई विज्ञापन अभियान या प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 2.11.2)/पृष्ठ-212

2008-09 से 2020-21 की अवधि के दौरान नए लाभार्थियों का नामांकन 2009-10 में 1,39,773 के शिखर से 69 *प्रतिशत* घटकर 2020-21 में 43,415 हो गया था, जबकि जन्म के समय बालिकाओं का नामांकन 2009-10 के 23,871 से घटकर 2020-21 में 3,153 हो गया था।

(पैराग्राफ 2.11.4)/पृष्ठ-219

डीडब्ल्यूसीडी ने योजना की शुरुआत (2008) के बाद 14 वर्ष की देरी के बाद लाभार्थियों को पंजीकरण, नवीनीकरण और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए समय-सीमा निर्धारित की (2022)।

(पैराग्राफ 2.11.2.3)/पृष्ठ-214

आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत के बावजूद, जिला स्तरीय कार्यालय/डीडब्ल्यूसीडी लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के प्रसंस्करण और संस्वीकृति के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे थे।

(पैराग्राफ 2.11.2.4)/पृष्ठ-216

योजना डेटाबेस में एक ही नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि के साथ 16,546 दोहरे और 131 तेहरे पंजीकरण देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹ 11.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.11.4.2)/पृष्ठ-220

योजना में नामांकन के समय 78,065 लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष हो गई थी, जिसके कारण इन लाभार्थियों के खातों में ₹ 180.92 करोड़ (ब्याज सहित) पड़े थे।

(पैराग्राफ 2.11.4.3)/पृष्ठ-222

इसके अतिरिक्त, 3,20,272 लाभार्थियों की ₹ 618.38 करोड़ की धनराशि एसबीआईएल के पास अव्ययित/अप्रयुक्त पड़ी थी (31 दिसंबर 2022) जहां लाभार्थियों ने परिपक्वता आयु प्राप्त कर ली थी।

(पैराग्राफ 2.11.5.3)/पृष्ठ-230